जनजातीय समाजों में परंपरागत सांस्कृतिक केन्द्र धमकुड़िया की स्थिति

डॉ. सुरेन्द्र ठाकुर*

भारत के मध्यपूर्व में झारखण्ड राज्य का छोटा नागपुर पठार अवस्थित है। छोटा नागपुर का प्रदेश सिर्फ अपनी शस्य–श्यामला धरती के लिए नहीं अपितु अतुल प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदा के लिए विश्व विख्यात है। रत्नागर्भा छोटा नागपुर की धरती सम्पूर्ण भारत में अद्वितीय एवं विशिष्ट है। जिस प्रकार झारखण्ड की धरती विशेष है उसी प्रकार छोटा नागपुर के मूल निवासी उराँव भी अद्‌भुत है। भारत के संविधान में उन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया गया है।[1]

प्राचीन काल से चली आ रही धमकुड़िया की संस्कृति आज भी प्रत्येक उराँव गांव में अस्तित्व में है जिससे आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्कृति की प्रवृति वर्तमान समय मे भी बनी हुई है। झारखण्ड राज्य के छोटा नागपुर उराँव जनजाति वर्तमान समय में वह अपने पारंपरिक सांस्कृतिक केन्द्र धमकुड़िया से संगठित और संचालित होते हैं। आदिवासियों में उराँव जनजाति एक प्रमुख जनजाति है। जो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में दूसरे स्थान पर आता है, यह मुख्यतया झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के रांची, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग और सिंहभूम जिलों में निवास करते हैं। बिहार में यह पूर्णिया, सासाराम आदि जिलों में छिटपुट रूप से पाये जाते हैं। इनकी भाषा कुरूख है।[2]

उराँव समाज में ग्राम पंचायत की एक सशक्त परंपरा है तथा उराँव समाज की समस्त समस्याओं का नियंत्रण और जीवन की समस्त पहलुओं की व्यवस्था पंचायत व्यवस्था के हाथों में केन्द्रित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उराँव समाज पंचायत संस्था को ईवशरीय सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं।[3]

पितृवंशीय उराँव जनजातीय समाज के कुंवारे लड़के और लड़कियों के लिए एक युवा गृह होता है जिसे धमकुड़िया कहा जाता है। उरांव समाज का यह परंपरागत सांस्कृतिक केन्द्र होता है। प्रत्येक लड़का और लड़की को इसका सदस्य होना अनिवार्य होता है। जब तक की इनकी शादी नहीं हो जाय। धमकुड़िया सांस्कृतिक केन्द्र उरांव समाज में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग होता है। लड़के के देखरेख के लिए धंगर महतो और लड़की के देखरेख बड़की धांगरीन के द्वारा किया जाता है जो समान्यतः एक प्रतिष्ठित विधवा महिला होती है। कोतवाल धांगर महतो का सहायता करता है। यहां लड़के एवं लड़कियों को अनेक समाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों की शिक्षा दी जाती है, इनके बहुमुखी विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशल रहती हैं। लड़के एवं लड़कियों के अलग–अलग धमकुड़िया होती है। लड़कों के धमकुड़िया को 'जोख एरपा' और लड़कियों के धमकुड़िया को 'पेल एरपा' कहा जाता है। इन केन्द्रों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य आदि का आयोजन किया जाता है। इन दोनों का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है फिर नये व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं।[4]

धमकुड़िया की संरचना–उरांव जनजाति में धमकुड़िया का काफी महत्व है। धमकुड़िया का नियंत्रण सम्पूर्ण रूप से उरांव समाज पर होता है। धमकुड़िया की संरचना को निम्न बिन्दुओं में बताने का प्रयास किया गया है :–

धमकुड़िया की बनावट–बनावट की दृष्टि से देखा जाय तो लड़के व लड़कियों के रहने के लिए जो भवन होता है उसमें कोई खास अंतर नहीं होता है चाहे वह 'जोख एरपा' की बाता हो या 'पेल एरपा' की। धमकुड़िया का भवन गांव के बीच में मिट्‌टी के दिवारों से घिरा होता है। इसमें आने–जाने के लिए एक दरवाजा होता है और इसका छत पुआल या खपरैल से बना होता है। धमकुड़िया के अन्दर ही सोने के लिए एक मचान होता है जिसे ताड़ के पत्तों से बनाया गया होता है। इसके अन्दर एक कोने में लकड़ी को जमाकर रखा जाता है ताकि ठंडी के दिनों में लकड़ी को जलाकर कमरे को गर्म करने में सहायता हो। इसके साफ–सफाई का भी पूरा प्रबंध होता है।

धमकुड़िया में समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है जिसमें वाद्ययंत्र व झंडे आदि का उपयोग होता है। लकड़ी से बना गोत्र टोटम;ब्संद. ज्वंमउद्ध के रूप में बड़े या छोटे पशु पक्षी का स्वरूप रखा जाता है जिसका उपयोग शिकार के समय या नृत्य, पर्व, त्यौहार आदि के अवसर होता है।[5]

धमकुड़िया में नामकरण की विधियां–उरांव समाज की गतिविधियों को देखा जाय तो धमकुड़िया एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्था रही है जिसमें इनका महान आस्था होता है। इसी विश्वास की प्रवृति के कारण आज भी यह संस्था अपने जीवन्त रूप में मौजूद हैं। जहां तक उरांव समाज में नामकरण का प्रश्न है तो 'जोख एरपा' में समाज के कुंवारे लड़कों का ही नामकरण होता है और पेल एरपा में कुंवारी लड़कियों को ही सदस्य बनाया जाता है।[6]

सांस्कृतिक केन्द्र धमकुड़िया के प्रति जनजातीय समाज के लोगों में बड़े ही उत्साह और आकर्षण होता है जिसके कारण वे अपने बच्चों का नामकरण इन संस्था में कराते हैं। विवाह के बाद इन की सदस्यता धमकुड़िया से समाप्त हो जाती है। धमकुड़िया की सदस्यता पांच वर्ष की उम्र से 20–22 वर्ष की अवस्था

***शोधार्थी–स्नातकोत्तर राजनीतिविज्ञान विभाग तिलकामांझी भागलपुर**

तक होता है। जोख एरपा में प्रवेश तीन वर्ष में एक बार होता है। इस के संदर्भ में एक प्रथा है कि माघ (जनवरी–फरवरी) महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शिकार के सामान तीर भालों के साथ जंगल शिकार के लिए जाना पड़ता है जो एक उत्सव के समान होता है और शिकार के बाद संध्या वापस लौटने पर प्रवेश के इच्छुक नए लड़कों के द्वारा जमीन की सफाई करके शिकार को रखा जाता है। पहले से सदस्यता प्राप्त लड़के आपस में विचार करते हैं कि 'जोख एरपा' में नये लड़कों को प्रवेश देना चाहिए। इस के लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसे प्रवेश की अनुमति मिल जाती है, उनके घर साल के पत्तों में शिकार के मांस को लपेट कर भेज दिया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन एक प्रचलित रस्म रिवाज के साथ नये लड़कों को बकरे का मांस खिलाकर जोख एरपा का सदस्यता प्रदान कर दिया जाता है।[7]

इस संस्था का सही रूपों में संचालन हो इसके लिए सदस्यों को शुल्क के रूप में 'करन्ज' का फल देना पड़ता है इस फल से तेल निकालकर 'जोख एरपा' के कमरे को रौशन युक्त किया जाता है।

इसके सदस्य को धानगरा कहा जाता है। इसमें तीन तरह के सदस्य होते हैं और प्रत्येक स्तर के सदस्य को 'तुर' कहते हैं। जो निम्न तरह के हैं :–[8]

क. तुर 'पुना जोखा' अर्थात् नए सदस्य

ख. तुर 'कोट्टा जोखा' अर्थात् मध्य श्रेणी के सदस्य

ग. तुर 'कोहा जोखा' अर्थात् विवाह होने तक के पहले सदस्य

धमकुड़िया का प्रशासक–किसी भी संस्था को सही रूपों में संचालित करने के लिए एक योग और अनुभवी प्रशासक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार धमकुड़िया सांस्कृतिक संस्था को चलाने के लिए एक योग संचालनकर्ता का होना अनिवार्य है। इसके संचालनकर्ता 'धांगर महतो' 'जोख एरपा' के प्रमुख होते हैं तो 'बड़की धांगरनी' जो एक योग्य और अनुभवी विधवा महिला होती है वह 'पेल एरपा' के प्रधान प्रशासक होते हैं। उरांव जनजाति समाजों में 'धांगर महतो का चुनाव पारंपरिक पंचायत के द्वारा होता है और वही धमकुड़िया के प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन और नियंत्रणकर्ता होता है। धांगर महतो धमकुड़िया के सदस्यों को धार्मिक आदि कार्यों का सही दिशा निर्देश करता है। साथ हीवह 'पेल एरपा' के कार्यों में भी हाथ बंटाता है। इतना ही नहीं 'बड़ी धांगरनी' के द्वारा किये जा रहे कार्यों को भी दिशा–निर्देश देते हैं।[9] धांगर महतो के अतिरिक्त एक सहायक धांगर कोतवार होता है। यदि यह कोतवार सही रूपों में कार्य को नहीं संपादित करता है तो उसके कार्य में भी 'धांगर महतो' भाग लेते हैं। किन्तु यदि कोतवार के द्वारा उसे सही रूपा में उनके कार्यों का संपादन नहीं किया जाता है तो 'धांगर महतो' इन पर जुर्माना भी लगाता है।[10]

धांगर कोतवार का चुनाव भी ग्राम पंचायत के द्वारा होता है। धांगर कोतवार धांगर महतो के कार्यों में भी सहायता करता है। इसे अतिरिक्त वह नृत्य व यात्रा में भी सहयोग करता है। 'धांगर कोतवार' 'जोख एरपा' के बगल में निवास करता है ताकि रात्रि में वह जाकर देखते हैं कि पुराने सदस्यों के साथ नये सदस्य नृत्य कार्यों में भाग ले रहा है या नहीं। या फिर वह पुराने सदस्यों के तरह नाच रहा है या नहीं। अर्थात् नृत्य की शिक्षा धांगर कोतवार के द्वारा दिया जाता है। इसके लिए वह 'पेल एरपा' के बड़की धांगरनी का सहायता लेता है। वह किसी सदस्य को नृत्य के लिए मजबूर कर सकता है अथवा दण्ड भी दे सकता है।[11]

'जोख एरपा' का संचालन सही रूप में हो इसके लिए प्रत्येक तीन वर्ष पर इनके प्रशासक बदल दिये जाते हैं और उनके स्थानों पर उरांव पंचायत व्यवस्था के आधार पर चुनाव होता है और वह चुने हुए व्यक्ति उस स्थान पर आसीन होते हैं। 'पेल एरपा' का प्रशासन एक वृद्ध व्यक्ति के पास होता है जिसे 'माले कोतवार' कहा जाता है। 'पेल एरपा' में जो सबसे बड़ी लड़की होती है वह अन्य लड़की पर नियंत्रण और निर्देशन के लिए नामित किये जाते हैं जिसे 'बरका धांगरीन' कहा जाता है।

धमकुड़िया के कार्यक्रम

धमकुड़िया सांस्कृतिक केन्द्र के द्वारा निम्न प्रकार के कार्य सम्पादित किये जाते हैं :–

1. **सदस्यों का एकत्रित होना** :– ऐसा देखा जाता है कि 'जोख एरपा' एवं 'पेल एरपा' का प्रतिदिन का कार्यक्रम संध्या से प्रारंभ होता है। शाम होते ही इनके सभी सदस्य अपने–अपने घर से भोजन कर जमा होते हैं। उनका सर्वप्रथम कार्य होता है इन संस्था की साफ–सफाई करना और वह ऐसा करते हैं। ध मकुड़िया को प्रकाशमय किया जाता है। लड़के 'जोख एरपा' में तथा लड़कियां 'पेल एरपा' में एकत्रित होते हैं।

जब सभी सदस्य जुट जाते हैं तब धमुकुड़िया में आग जलाई जाती है और सभी सदस्य चारों ओर घेर कर बैठ जाते हैं। इसके बाद नृत्य–संगीत, खेलकूद, कहानी आदि सुनते हैं। इसके वरिष्ठ सदस्य कम उम्र वाले सदस्यों को सामाजिक रीति–रिवाजों, प्रथाओं, संस्कृति, रूढ़ियों के साथ–साथ चरित्र परक शिक्षा, विश्वास, सहयोग, सत्यनिष्ठा, अखण्डता, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, कठिन परिश्रम तथा यौन संबंधी शिक्षा देते हैं। 'जोख एरपा' तथा 'पेल एरपा' के सदस्य पारंपरिक नृत्य गांव के सामुहिक नृत्य स्थल अखाड़ा में साथ–साथ करते हैं नृत्य तथा लोक गीत से संबंधित शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार रात्रि के सारे कार्यक्रम में भाग लेकर वह सवेरे अपने घर चले जाते हैं और फिर अपना दैनिक

कार्य करने में लग जाते हैं। इस तरह धमकुड़िया सांस्कृतिक केन्द्र के अपने कुछ नियम कानून होते हैं जिसके द्वारा वह अपने गतिविधि को संचालित करता है। यदि कोइ इसके नियम को तोड़ता है तो उसे दण्ड भी दिया जाता है। कभी–कभी तो वैसे सदस्य की सदस्यकता भी धमकुड़िया से समाप्त कर दिया जाता है।[12]

2. **उरांव संस्कृति को जीवन्त रखना** :– धमकुड़िया उरांव ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, वैचारिक स्तर के अलावा यौन संबंधी कार्यों से जुड़े रहकर उसे नियंत्रित करता है। यदि कोई उरांव का लड़का किसी गैर उरांव की लड़की से यौन संबंध स्थापित करता है तो यह माना जाता है कि उस उरांव ने समाज के नैतिक बंधन और नियमों का उल्लंघन किया है तो वैसे उरांव को समाज से बहिष्कृत किया जाता है। अर्थात् इस तरह की प्रवृति का विकास नहीं हो इस पर नियंत्रण रहे इसके लिए धमकुड़िया समय–समय पर उरांव समाज में मौसमी व त्यौहार संबंधी शिकार जैसेः– फागु सेन्दरा (मार्च के माह में) बिसु सेन्दरा (अप्रैल–मई में) तथा जेठ शिकार (वर्षा ऋतु के प्रारंभ में) को नियंत्रित करने में ध ामकुड़िया काफी मजबूत होती है।[13] धमकुड़िया के सदस्य ही इस शिकार के पूरे कार्यक्रम तय करता है और इस शिकार में नेतृत्वकर्ता के चयन से लेकर शिकार के अंतिम कार्यक्रम तक तथा किये गये शिकार का बंटवारा भी स्वयं धमकुड़िया के सदस्य आपस में करते हैं। इस तरह देखा जाता है कि धमकुड़िया के द्वारा दी गयी शिक्षा, सहयोग व्यवस्था को यह उजागर करता है तथा उरांव जनजाति संस्कृति एवं उससे परिचित होने का अवसर प्रदान करता है।[14]

3. **पारंपरिक रीतिरिवाजों एवं उनमें सामाजिकता की भावना विकसित करना** :– धमकुड़िया जनजाति संस्कृति का ऐसा केन्द्र है जिसमें इनके सदस्य गांव के अखाड़े में रात्रि में साथ–साथ नाच और गान करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम को संचालित करने का एक खास उद्देश्य होता है कि उरांव समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों का सही जानकारी इन जाति के लोगों को दिलाना तथा धमकुड़िया के माध्यम से सामाजिक नृत्य, लोकगीत एवं आपसी प्रेम व जीवन साथी चुनने, यौन संबंधी शिक्षा देने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा भी उरांव जनजाति के लोगों में गांव के प्रति सेवा एवं सुरक्षा की भावना विकसित करता है। इसके साथ ही इनके द्वारा धमकुड़िया के सदस्यों को समाज पारंपरिक रीति–रिवाजों, वाद्य–यंत्रों, नृत्य, संगीत, त्यौहारों आदि से जुड़े समाजिक एवं ध ार्मिक विश्वासों से अवगत होने का अवसर मिलता है तथा उसे एक दूसरे से मिलने–जुलने का अवसर उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं इनके माध्यम से उरांव समाज के लोगों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है जिसके कारण वह समूह के हित एवं कल्याण की बात करने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं।

4. **सहयोगी प्रवृति** :– धमकुड़िया की यह विशेषता होती है कि इसके सदस्य गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो उस अवसर परवह उस में पहुँचकर काफी सहयोग करता है। यदि गांव में किसी मकान का निर्माण चल रहा हो तो धमकुड़िया के सदस्य उन्हें सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। इतना ही नहीं धमकुड़िया श्रम संबंधी शिक्षा के साथ–साथ सामूहिक तथा सहयोगी जीवन किस तरह सही से बीते इसकी शिक्षा आदि देने का भी प्रयास करता है।

वर्तमान परिपेक्ष्य में धमकुड़िया की स्थिति

वर्तमान परिपेक्ष्य में धमकुड़िया की पारंपरिक मान्यताएं उरांव जनजाति समाजों में घटती जा रही है। इसकी मान्यता टूटने के आज तेजी से बदलती परिस्थितियां हैं जिनके कारण यह संस्था टूट रही है क्योंकि 1990 ई. के बाद जिस स्तर से वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है उसके प्रभाव में आने से कोई भी समाज बच नहीं सकता। यही कारण है कि उरांव जनजाति समाज में भी औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक विकास, ईसाई संगठनों का जनजाति समाजों में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का प्रवेश, वनों का तेजी से कटाई, जीविका की खोज में स्थानान्तरण, राजनीतिक जागृति, स्वयं सहायता समूहों का समाज में प्रवेश ने धमकुड़िया की मान्यता को कुंठित और धूमिल कर दिया है।

इतना ही नहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना व सरकार की नई नीतियों के कारण भी इसकी पारंपरिक मान्यताएं टूटती जा रही है। हाल के वर्षों में 'यूपीए' की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्याक्रम के तहत पंचायत राज संस्था के विकास के द्वारा आदिवासियों के अधिकार एवं कल्याण को बहाल करने के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा की है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के द्वारा 8 जनवरी 2008 एवं 29 जुलाई 2008 को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि ''सरकार इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के प्रति काफी गंभीर है।[15]

अर्थात् इन नियमों के प्रभाव से भी उरांव जनजाति समाजों के लोग लाभ लेने के लिए उत्सुक दिखतें हैं। इतना ही नहीं इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए ग्राम सभा एवं आधुनिक पंचायत राज संस्थाओं पर दबाव डाला गया है कि जनजाति समाजों को पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा अधिकार की प्राप्ति एवं इन संस्थाओं में जनजाति समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट आदेश निर्गत किया गया।[16]

इस बात को ध्यान में रखकर इनकी मान्यता आदिवासी समाजों से लुप्त नहीं हो जाय इसके लिए झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 एवं 2010 अधिनियमित किया गया जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि ''विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में झारखंड पंचायत राज संस्थाओं को जनजाति उन्मुख और

आदिवासियों के इच्छा और आशाओं पर आधारित करने के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं।[17] इन प्रावधानों का उद्देश्य पारंपरिक पंचायत व्यवस्था एवं आधुनिक पंचायत व्यवस्था के अन्तर को समाप्त करना, इसे आदिवासियों के क्रियाशील एवं प्रभावशाली भागीदारी के लिए उपयुक्त बनाना, आदिवासियों की परंपराओं, स्वभाव, संस्कृति, रीति–रिवाजों के अनुरूप बनाना है। इस अधिनियम की ऐसी व्यवस्थाओं में आदिवासियों की रूढ़ियों, परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक साधनों, विवाद के समाधान के रूढ़िगत तरीकों को सुरक्षित और संरक्षित करना, किसी भी गांव में एक से अधिक ग्राम सभा के संगठन की अनुमति प्रदान करना, परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार कार्यकलापों के प्रबंधन का अधिकार दिया जाना, ग्राम सभी की बैठक की अध्यक्षता पारंपरिक ग्राम प्रधानों के द्वारा किये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत मांझी, प्रधान, मुंडा, पाहन, महतो के पारंपरिक ग्रामीण नेतृत्व को मान्यता देने और विकास की परियोजनाओं की स्वीकृति के संबंध में ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।[18]

यह सत्य है कि उरांव जनजाति समाज के युवक–युवतियों को समाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं की जानकारी धमकुड़िया के माध्यम से आसानी से प्राप्त कराने का केन्द्र बनाया गया है जिससे कि उरांव संस्कृति को बचाये जाने का संस्थानिक प्रयास होता है किन्तु आज उरांव समाज से धमकुड़िया का अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है।

अतः आधुनिक झारखंड पंचायत राज अधिनियमों को अधिनियमित कर उरांव जनजाति समाज से विलुप्त हो रहे संस्कृति, परंपरा, रीतिरिवाज, रूढ़ियों, मान्यताओं, प्रथाओं आदि को आधुनिक पंचायत राज संस्थाओं में जगह देकर बचाने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर 2000, उपकार प्रकाशन, आगरा से उद्धृत पृ. सं. 673
2. वही, जुलाई 1999 पृ. सं. 2064
3. नर्मदेश्वर प्र. लैण्ड एण्ड पिपुल ऑफ ट्रावल बिहार, बिहार ट्राइवल इन्स्टीट्च्यूट गर्वनमेंट ऑफ बिहार, राँची 1961 पृ. सं. 64
4. वही
5. प्रतियोगिता संदर्भ मानवशास्त्र, प्रतियोगिता संदर्भ पब्लिकेशन रांची, दिल्ली, वर्ष 2010 पृ. सं. 19

6. यूनिक प्रैक्टिस बुक, युनिक पब्लिकेशन, झारखंड, रांची, 2009
7. वही
8. वही
9. वही
10. नर्मदेश्वर प्र. लैण्ड एण्ड पिपुल ऑफ ट्रावल बिहार, बिहार ट्राइवल इन्सटीट्च्यूट, बिहार, रांची 1961, पृ. सं. 68–69
11. प्रतियोगिता दर्पण वही पृ. सं. 2064
12. वही पृ. सं. 75
13. वही, पृ. सं. 75–76
14. वही पृ. सं. 2065
15. मासिक पत्रिका योजना सितंबर 2008 पृ. सं. 13
16. टाईम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली 16 जुलाई 2008
17. झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 से उद्धृत, हिन्दुस्तान, शनिवार 12 मई 2001, पृ. सं. 07
18. वही झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 धारा 75 (1 से 33) पर आधारित